

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

①

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला - अलवर

दस्तावेज नं.

बनाम

द.श.मजिस्ट्रेट

किस्म मुकदमा

नं

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27-8-10	<p>वकीलवादी उर्फ/ कानून की मदद से/ प्रतिपक्षीय/ को समान करने को अर्पण करने पर निर्णय/ परा. दि. 1-10-10 को पेश हो।</p>	
1-10-10	<p>वकीलवादी उर्फ/ कानून की मदद से/ प्रतिपक्षीय/ परा. दि. 10-12 को पेश हो।</p>	
10-12-10	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी/ पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते..... पत्रावली दिनांक 10-2-11 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">..... रीडर</p>	
18/2/11	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी/ पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते..... पत्रावली दिनांक 1/4/11 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">..... रीडर</p>	
11/4/11	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य स्थगित है। पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते..... दिनांक 21/4/11 को पेश हो।</p>	
21/4/11	<p>वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी/ पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते..... पत्रावली दिनांक 10/6/11 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">..... रीडर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

17.11.23 पत्रावली पेश। 29.12.23 को पेश हो।
कार्य में अर्द्ध
पत्रावली दिनांक 29.12.23 को पेश हो।

रख
रख

29.12.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील व उनके वादी को न्यायालय द्वारा अवाज
दिलायी गई। साय 5:30 बजे तक इंतजार किया गया
पुनः आवाज लगायी गई। इसके बावजूद वकील
व उनके वादी उपस्थित नहीं आये। अतः शवा
वकील व उनके वादी की अल्प पेशी - अल्प
हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैलल नूमा लेकर खेल्वा से कम हो। बाह
गमित्क तन्वील हाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

535